कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

श्री सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा कार्यालय को एक आवेदन समर्पित किया गया जिसके माध्यम से सूचित किया गया कि वाहन संख्या—BR06PD-4847 परमिट संख्या—283/2019, मार्ग—3582 (रामपुर चेकनाका से बेतिया) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से निर्गत है। आवृत्त वाहन टुरिस्ट मिनी बस है एवं परमिट के आधार पर परिचालन नहीं किया जाता है, जबकि वाहन का परिचालन स्कूल में किया जाता है।

आवेदन में लगाये गये आरोपों का कार्यालय से जाँच कराने पर वाहन संख्या—BR06PD-4847 (फोर्स—1) बस है, जिसका मॉडल स्टेज कैरेज परमिट वाहन हेतु निर्धारित मापदंडो के अनुरूप नहीं है साथ ही इसका VLTD डाटा प्रेषित नही कर रहा है। जिसके पश्चात वाहन परिचालन पर रोक लगाते हुए वाहन स्वामी से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

वाहन स्वामी श्री दिनेश वास्ते गीता सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि सुनवाई के बिना/पूर्व सूचना के परमिट निलंबन नियमानुकूल नहीं है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात पत्रांक—332 दिनांक—10.06.2025 द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई का मौका देते हुए अपना पक्ष रखने हेतु कार्यालय प्रकोष्ठ, संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर में दिनांक—18.06.2025 समय—13:00 बजे निर्धारित किया गया।

सुनवाई की निर्धारित तिथि दिनांक—18.06.2025 को सुनवाई के क्रम में परमिटधारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मेरे वाहन के VLTD की वैधता दिनांक— 25.10.2025 तक है तथा M-Bus है एवं परिचालन आवंटित मार्ग पर ही किया जाता है।

आरोपकर्त्ता श्री सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा बताया गया कि वाहन संख्या—BR06PD-4847 एक टूरिस्ट बस है, जिसका मॉडल स्टेज कैरेज परमिट वाहन के अनुरूप नहीं है। इस वाहन का परिचालन आवंटित मार्ग पर नहीं किया जाता है जबकि स्कूल में किया जाता है।

उक्त सुनवाई के आलोक में पत्रांक—342 दिनांक—18.06.2025 के द्वारा मोटरयान निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से टॉल प्लाजा के माध्यम से जाँच कर विगत छः माह की परिचालन से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिसम्बर—2024 से 23.06.2025 तक कुल 03 दिन वाहन का परिचालन किया गया है।

उपरोक्त आरोप के आलोक में की गयी सुनवाई, कार्यालय से अभिलेखीय जाँच एवं मोटरयान निरीक्षक से प्राप्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि :—

1. वाहन संख्या—BR06PD-4847 का मॉडल स्टेज कैरेज परमिट मापदंडों के अनुरूप नहीं है।
2. उक्त वाहन का परिचालन आवंटित मार्ग पर नहीं किया जाता है जो यात्रियों के हित में नहीं है। इससे एक तरफ वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित समय पर वाहन का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को भी असुविधा होती है और दूसरी तरफ इस आवंटित समय पर अन्य वाहनों को परमिट नहीं दिया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में मोटरयान अधिनियम—1988 एवं बिहार मोटरयान नियमावली—1992 में निहित प्रावधानों के आलोक में परमिट संख्या—283/2019 को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free किया जाता है।

27.06.25

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक—375**/परि0,** **दिनांक—**27/06/2025

प्रतिलिपिः—आयुक्त—सह—अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः—प्रधान सहायक/लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः—संबंधित वाहन स्वामी को सूचनार्थ प्रेषित।

27.06.25

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
मुजफ्फरपुर।